

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या 101/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
इण्डिया शेल्टर फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड रजिस्टर्ड पता छठी मंजिल, प्लॉट नम्बर 15, इण्डिस्ट्रियल
एरिया, सेक्टर 14 गुरुग्राम व शाखा कार्यालय शाप नम्बर 67वी व 68, सेकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर 277,
टेगोर नगर, डीसीएम के पास, जयपुर रोड जयपुर

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

- 1 शिमला देवी
- 2 कृष्णावतार रावत
- 3 शिमला देवी

पता- (1) रावतों का मोहल्ला, मानपुरा मानचेरी, जयपुर

एवं संकल्प नम्बर 04, ग्राम पंचायत मानपुरा माचेडी, पंचायत समिति आमेर जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर




The application under section 14 of The
Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest
Act, 2002.

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 11.06.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि हीरो हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.12.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री कृष्णावतार रावत के स्वामित्व की सम्पत्ति संकल्प नम्बर 05, ग्राम पंचायत मानपुरा माचेडी, पंचायत समिति आमेर जयपुर कुल क्षेत्रफल 274 वर्ग गज को बन्धक रख कर 20,36,939/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.12.2023 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये व दो अखबारों में भी साया करवाया गया व सम्पत्ति पर चप्पा भी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय कम्पनी ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 20,36,939/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त कर्णित सम्पत्ति प्राथी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 19,14,837/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.12.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है एवं अखबार में भी साया करवाया गया है तथा सम्पत्ति पर चर्चा भी किया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत कम्पनी बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राथी कम्पनी के पक्ष में अप्रार्थी श्री कृष्णावतार रावत के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति संकल्प नम्बर 05, ग्राम पंचायत मानपुरा माचेडी, पंचायत समिति आमेर जयपुर कुल क्षेत्रफल 274 वर्ग गज का भौतिक रूप से कब्जा प्राथी कम्पनी द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राथी कम्पनी को प्राप्त करने में सहयोग कर कम्पनी को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 11.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



40
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(अन्वय) बवपुर (ग्रामीण)